

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ 2( )अ.क.को./लेखा/आईसीडीएस / 173444-76 जयपुर, दिनांक  
19/9/2022


उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग  
समस्त।

विषय:-सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत लाभान्वित मानदेयकर्मियों की संख्या  
उपलब्ध करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,, सहायिका एवं सहयोगिनियों हेतु सामूहिक बचत एवं बीमा योजना अन्तर्गत लाभान्वित मानदेयकर्मियों की संख्या अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त कर संकलित कर निम्न प्रारूप में तीन दिवस में अधोहस्ताक्षकर्ता को उपलब्ध करावें।


क्र. संख्या	परियोजना का नाम	लाभान्वित मानदेयकर्मियों की संख्या			
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सहायिका	सहयोगिनी

  
वित्तीय सलाहकार  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ 2( )अ.क.को./लेखा/आईसीडीएस/ 173477-780 जयपुर, दिनांक  
19/9/2022

प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त को भेजकर लेख है कि आप स्वयं से संबंधित सूचना अविलम्ब उपनिदेशक कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

  
वित्तीय सलाहकार  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।